08/07/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर नहीं आये हैं। वकील की ओर तलबी पूर्ण नहीं करवायी जा सकी है। आज न्यायालय में तीन-तीन आवाजें लगवाने पर भी हाजिर नहीं आने पर, पत्रावली अंतर्गत O-9, R-3 ज.प्र.सं. के तहत अदम पैरवी व अदम पैरवी में एतद द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल नम्बर लेकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक (जयपुर)